

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रोड़ीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक - एफ 4(2)/स्टोर/सा.न्या.आवि/18/ ५००९५

जयपुर, दिनांक १६.५.१८

सीमित निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, जयपुर को कार्यालय में खराब रखी बड़ी व छोटी आलमारियों/ग्लास डोर आलमारी/बुककेस को पूर्णतया ठीक करवाना हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र.सं | कार्य का विवरण | बड़ी अलमारी दर | छोटी अलमारी दर |
|--------|---|----------------|----------------|
| 1 | अलमारी के पायदान जोड़ी लगाना सैल्फ ठीक करना ताले की राड भोगली मुकपान लगाना बैलैन्सिंग करना डेन्टिंग रिपेयरिंग व सिल्वर कलर स्प्रे पेन्टिंग करना | | |
| 2 | ग्लास डोर आलमारी के पायदान लगाना सैल्फ ठीक करना ताले की राडभोगली मुकपान लगाना बैलैन्सिंग करना काच लगाना डेन्टिंग रिपेयरिंग व सिल्वर कलर स्प्रे पेन्टिंग करना | | |
| 3 | बुक केस के अलग अलग पल्लौ को ठीक करना पल्लौ के बीयरिंग बैनल नये लगाना काच लगाना पायदान जोड़ी लगाना सैल्फ ठीक बैलैन्सिंग करना ताले लगाना डेन्टिंग रिपेयरिंग व सिल्वर कलर स्प्रे पेन्टिंग करना | | |
| 4 | डेन्टिंग रिपेयरिंग व सिल्वर कलर स्प्रे पेन्टिंग करना | | |
| 5 | बन्द आलमारी को खोलकर नया ताला लगाना | | |
| 6 | नया ताला लगाना | | |
| 7 | नया हैपिडल लगाना | | |
| 8 | खराब रोड को बदलना | | |

- 1 आलमारियों को निदेशालय भवन से वर्कशॉप पर ले जाकर समस्त कार्य कर वापस पहुँचाना होगा।
- 2 आलमारियों का निदेशालय से वर्कशॉप ले जाने एवं लाने का वाहन किसाया एवं लोडिंग-अनलोडिंग चार्ज संवेदक का होगा।
- 3 समस्त करों एवं व्ययों सहित अन्तिम दर प्रस्तुत की जानी है। प्रस्तुत दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

अतः कोई भी इच्छुक फर्म/संस्थान/व्यक्ति उक्त कार्य को करना चाहे वे अपनी दरें बंद लिफाफे में दिनांक 25.5.18 को प्रातः 11.00 बजे तक कमरा नं. 202 में प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा उसी दिन 12.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्रमांक - एफ 4(2)/स्टोर/सा.न्या.आवि/18/ ५०१००

(संचिता बिश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक (सतकर्ता एवं प्रशासन)

जयपुर, दिनांक १६.५.१८

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, अति. निदेशक (सतकर्ता एवं प्रशासन) जयपुर।
- 2 कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 3 राहायक लेखाधिकारी (भुगतान), मुख्यावास
- 4 एसीपी उप निदेशक, मुख्यावास को पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 5 नाटिस बोर्ड निदेशालय/उप निदेशक, ग्रामीण/शहर, जयपुर, शिशु गृह/किशोर गृह, जयपुर।
- 6 आदेश पत्रावली।

Jain
(संघमित्रा बरडिया)
उप निदेशक (प्रशासन)